प्रकरण संख्या 24/2023 गोपा बनाम हीरालाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1839, 1847, 2143, 2144, 2149 कुल किता 5 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम कुवारिया में स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड अनुसार निहित है। उक्त आराजियात शामलाती होने से जमीन के विकास में असुविधा होती है तथा विवाद होता रहता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2010 को वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 08.06.2016 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 19.09.2023 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एल. रावत उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री फतहलाल बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द बंटवारे एवं निर्णय की कोई सूचना नहीं दी गयी। दिनांक 25.08.2023 को ई–मित्र से नकल प्राप्त होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की दोनों डिक्रियां कानून	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:18 IST
Reason: SelfAttested

एवं पक्षकारों के वाद एवं जवाब अनुसार एवं कब्जे अनुसार नहीं होने से निरस्त योग्य हैं, क्योंकि निर्णय लोक अदालत की भावना से किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में किये गये विभाजन को मान्यता देकर आधिपत्य के अनुसार विभाजन किया जावे। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने सभी पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार नहीं किया तथा कब्जे को ध्यान में नहीं रखा। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में कब्जे के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री जारी की जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि पक्षकारान की सहमति के आधार पर डिक्री जारी की गयी है तथा विभाजन कब्जे को ध्यान में रखकर ही किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रारम्भिक डिक्री पर पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो फर्द बंटवारा तैयार किया गया है, वह अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जबकि कानूनन फर्द बंटवारा सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए था। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2016 त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 148/2009 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर तथा उनकी उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवारे के आधार पर पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:18 IST
Reason: SelfAttested